न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–149/2021

GCMS NO:- 2021/288

दायर दिनांकः 28.09.2021

पीठासीन अधिकारी :–श्योराम (आर.ए.एस.)

1. लक्ष्मीनारायण आ0 कल्याण जाति धाकड निवासी बामनगांव तहसील नैनवां जिला बून्दी ।
2. लड्डूलाल आ0 बरधा जाति धाकड निवासी बामनगाव तहसील नैनवां जिला बून्दी ।
3. बदराबाई पुत्री बरधा जाति धाकड हाल पत्नी महावीर जाति धाकड निवासी करवर तहसील नैनवां जिला बून्दी।

–प्रार्थीगण–

बनाम

1. रामनारायण आ0 किशना जाति धाकड निवासी बामनगांव तहसील नैनवां जिला बून्दी ।
2. हीरा आ0 गंगाराज जाति धाकड निवासी बामनगांव तहसील नैनवां जिला बून्दी ।
3. रामधन आ0 गंगाराज जाति धाकड निवासी बामनगांव तहसील नैनवां जिला बून्दी ।
4. औंकार माता मोत्याबाई जाति धाकड निवासी हीरापुर तहसील नैनवां जिला बून्दी।
5. प्रभू माता मोत्याबाई जाति धाकड निवासी हीरापुर तहसील नैनवां जिला बून्दी।
6. रामरतन उर्फ रतन माता मोत्याबाई जाति धाकड निवासी हीरापुर तहसील नैनवां जिला बून्दी।
7. जगदीश माता मोत्याबाई जाति धाकड निवासी हीरापुर तहसील नैनवां जिला बून्दी।
8. धनपाल माता मोत्याबाई जाति धाकड निवासी हीरापुर तहसील नैनवां जिला बून्दी।
9. मिश्रीलाल उर्फ रामेश्वर माता मोत्याबाई जाति धाकड निवासी हीरापुर तहसील नैनवां जिला बून्दी।
10. भूला बाई माता मोत्याबाई हाल पत्नी रामकुंवार जाति धाकड निवासी गुढादेवजी तहसील नैनवां जिला बून्दी।
11. कैलाश बाई माता मोत्या बाई हाल पत्नी बद्रीलाल जाति धाकड निवासी कांकरिया तहसील नैनवां जिला बून्दी।
12. सूरजाबाई माता मोत्याबाई हाल पत्नी कन्हैयालाल जाति धाकड निवासी नाहरगंज तहसील नैनवां जिला बून्दी।
13. हेमराज माता धापू बाई जाति धाकड निवासी नाहरगंज तहसील नैनवां जिला बून्दी।
14. बद्री माता धापू बाई जाति धाकड निवासी नाहरगंज तहसील नैनवां जिला बून्दी।
15. प्रकाश माता धापू बाई जाति धाकड निवासी नाहरगंज तहसील नैनवां जिला बून्दी।
16. द्वारका माता धापू बाई हाल पत्नी शंकरलाल जाति धाकड निवासी करवर तहसील नैनवां जिला बून्दी
17. मसजीत पीर साहब स्थान बामनगांव मौलवी छोटू फकीर निवासी बामनगांव तहसील नैनवां जिला बून्दी।
18. राजस्थान सरकार भू–स्वामी जर्ये तहसीलदार साहब नैनवां जिला बून्दी।

–अप्रार्थीगण–

वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 251 [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:52:13 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थिति–

प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Scanned with CamScanner

निर्णय दिनांक 02.12.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम बामनगांव पटवार मण्डल बामनगांव तहसील नैनवां में भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी की खाता संख्या 332 के खसरा संख्या 1231,1232,1236, 1238,1241,1266,2670,2682,2768,2792,2899,2902 कुल किता 12 कुल रकबा 6.6955 है0 कृषि भूमि स्थित है। यह कि प्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 2902 में आने जाने का रास्ता बामनगांव से गलगच माता जी से होते हुए रोठेदा जाने वाली ग्रेवल सडक के पूर्वी ओर स्थित खसरा संख्या 2906 व खसरा संख्या 2904 के उत्तरी मेड पर होता हुआ निकल रहा है। इस रास्ते को नक्शा परिशिष्ट अ में लाल स्याही से दर्शाया है। यह कि उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के खाते की जमीन पर आने जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है। इसलिए प्रार्थीगण को अपने खाते की भूमि पर आने जाने व कृषि उपज लाने ले जाने के लिए रास्ता दिलाया जाना आवश्यक है। जिसकी राशि प्रार्थीगण नियमानुसार जमा करवाने को तैयार है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में परिशिष्ट अ,नकल जमाबंदी, नकल नक्शा ट्रेस तथा शपथ–पत्र आदि पेश किये।

रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में तहसीलदार नैनवां से रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिसके अनुसार प्रार्थीगण की भूमि तक पहुँचने के लिए प्रस्तावित रास्ता के अतिरिक्त कोई अन्य सीधा एवं सुगम रास्ता का विकल्प नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा चाहे गए रास्ते में भूमि खसरा संख्या 2906 में से रकबा 2 गठ्ठा • 34 गठ्ठा = 68 वर्ग गठ्ठा भूमि, खसरा संख्या 2904 में से रकबा 2 गठ्ठा • 75 गठ्ठा = 150 वर्ग गठ्ठा भूमि दिया जाना उचित होगा। यह कि प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है।

हमने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत रिकॉर्ड दस्तावेज एवं रास्ता रिपोर्ट तहसीलदार नैनवां का अवलोकन किया। पत्रावली प्रषासन गांवों के संग अभियान केम्प कोर्ट बामनगांव में पेष हुई। उपस्थित पक्षकारान की प्रार्थना पत्र में बहस सुनी गयी। प्रार्थीगण को रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तहसीलदार नैनवां ने भी अपने जवाब/रिपोर्ट में प्रार्थीगण को प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस के अनुसार रास्ता दिया जाना उचित बताया है। ग्राम बामनगांव पटवार मण्डल बामनगांव तहसील नैनवां में भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी की खाता संख्या 332 के खसरा संख्या 2902 की भूमि पर पहुंचने के लिए भूमि खसरा संख्या 2906 में से रकबा 2 गठ्ठा • 34 गठ्ठा = 68 वर्ग गठ्ठा भूमि, खसरा संख्या 2904 में से रकबा 2 गठ्ठा • 75 गठ्ठा = 150 वर्ग गठ्ठा भूमि, जिसे नक्शा ट्रेस परिशिष्ट "क" में लाल डोटेड लाइन से अंकित किया गया है, के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। जितनी भूमि रास्ते के उपयोग में आयेगी उतनी भूमि की कीमत का नियमानुसार प्रतिकर राजकोष में जमा होने के उपरान्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किया जावे। नक्शा परिशिष्ठ को परिशिष्ठ 'क' नाम दिया गया है जो न्यायालय निर्णय का अभिन्न अंग होगा। तहसीलदार नैनवां को आदेशित किया जाता है कि मौके पर रास्ता बहाल कर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शे में दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 02.12.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Sd/-
उपखण्ड अधिकारी
नैनवाँ (बूंदी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:52:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner